05/02/25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप. उनके द्वारा अप्रार्थी को तलबी हेतु तलबाना पेश किया गया।

अतः पत्रावली दि. 27/02/25 को पेश हो

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

दिनांक 27/02/25
पत्रावली पेश हुई। आज बार एसो. किशनगढ़ द्वारा कार्य का स्थगन रखा गया। अतः पत्रावली P.O. सा. के समक्ष दि. 8/5/25 को पेश हो।
अप्रार्थी स. 1 के तामील शुदा नोटिस प्राप्त उनके प्रतिनिधि उप. जवाब हेतु समय चाहा गया।

8/5/25
पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप
पी. ओ. साहब दौरे/अवकाश पर पधारे हैं। अतः
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दि. 14/05/25

C/N – 214/19

14/05/25 पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उप. अप्रार्थी स. 1 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 पर बहस की गई। अतः पत्रावली वास्ते प्रार्थना पत्र पर आदेश हेतु दि. 28/05/25 को पेश हो

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

28/05/25 ~~वकील~~ पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उप. ~~[illegible]~~ प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा.का.भू.रा.अ. का स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर पत्रावली नम्बर से कम हो

उपखण्ड अधिकारी

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)
## राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 214/2019

1. पूसा पुत्र स्व0 हरजी जाति
2. रामसुख पुत्र स्व0 हरजी
3. गणेश पुत्र स्व0 हरजी
4. जेठू पुत्र स्व0 हरजी
5. श्रीमती स्याणी धर्मपत्नि स्व0 हरजी
   सर्व जाति जाट निवासीगण ग्राम मुण्डोलाव तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
6. श्रीमती छगन कंवर पुत्री गिल सिंह पत्नि कल्याण सिंह जाति राजपूत निवासी राबड़ियाद तहसील परबतसर जिला नागौर राज0

प्रार्थीगण

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ़ तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम, 1956

दिनांकः 28/05/2024

उपस्थितः करतार सिंह चौधरी प्रार्थीगण अभिभाषक
अप्रार्थीगण

## निर्णय

1. यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा जरिये वकील श्री करतार सिंह चौधरी के माध्यम से अन्तर्गत धारा 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956 बाबत् विरूद्ध अप्रार्थीगण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि –

2.1 प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में दावा किया है कि ग्राम मुण्डोलाव पटवार हल्का बालापुरा तहसील किशनगढ जिला अजमेर की आराजी ख0नं0 566 रकबा 00–02–00 किस्म गै.मु. चाह, ख0नं0 568 रकबा 14–02–00 भूमि प्रार्थीगण के संयुक्त स्वामित्व, कब्जे काश्त व खातेदारी की है जिस पर प्रार्थीगण काबिज है। उक्त कृषि आराजी की पूर्व दिशा में ग्राम मुण्डोलाव से ग्राम तिहारी जाने वाली पक्की सार्वजनिक सड़क है जिसका उपयोग आम जन करते है तथा इसी सड़क से ग्रामवासियों के पशुधन व आवारा पशु भी आते जाते रहते है जिस कारण प्रार्थीगण की उपरोक्त उल्लेखित कृषि आराजियात ख0नं0 566, 568 में बोई गई फसलों में भारी नुकसान होता है तथा हर वर्ष कृषि काश्त व अन्य कृषि कार्यों के दौरान पडौसी खेतों वालो से भी अक्सर विवाद होता रहता है। राज्य सरकार की योजना अनुसार प्रार्थीगण अपनी उपरोक्त उल्लेखित कृषि आराजियात ख0नं0 566, 568 में ग्रामवासियों के पशुओं व आवारा पशुओं से उपरोक्त आराजीयात में खड़ी फसलों में निरन्तर हो

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

रहे नुकसान व प्रतिवर्ष पड़ौसी खेतो वालो से कृषि कार्यो के दौरान होने वाले विवाद के कारण प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की उपरोक्त कृषि आराजियात में तारबन्दी करवाना चाहते है ताकि प्रार्थीगण की उपरोक्त उल्लेखित कृषि आराजियात में खड़ी फसलों में भविष्य में किसी प्रकार का नुकसान व पड़ौसी खेतो वालो से कोई विवाद न हो सके। तारबन्दी किये जाने से पूर्व प्रार्थीगण की उपरोक्त उल्लेखित कृषि आराजियात ख0नं0 566, 568 का सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी करवाया जाना आवश्यक है इसी कारण प्रार्थीगण की ओर से उनकी उपरोक्त उल्लेखित कृषि आराजियात के सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी हेतु यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। पूर्व में प्रार्थीगण द्वारा उपरोक्त उल्लेखित कृषि आराजियात ख0नं0 566, 568 के सीमाज्ञान हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिस पर तहसीलदार (भू अभिलेख) किशनगढ (अजमेर) के द्वारा दिनांक 02.07.2018 को पटवारी हल्का बालापुरा द्वारा सीमाज्ञान करवाया गया था सीमाज्ञान को लेकर अक्सर विवाद करते रहतें है इसी कारण यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थीगण भविष्य में होने वाले विवाद व फसल सुरक्षा हेतु तारबन्दी करवाये जाने से पूर्व अपनी प्रार्थना पत्र में उल्लेखित कृषि आराजियात ख0नं0 566 568 का सीमाज्ञान कर पत्थरगढ़ी करवाना चाहते है इसी कारण यह प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111 व 128 के अर्न्तगत माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। अतः प्रार्थीगण द्वारा न्यायहित में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अप्रार्थी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार एवं सहायक भू अभिलेख अधिकारी, किशनगढ को प्रार्थना पत्र में उल्लेखित ग्राम मुण्डोलाव पटवार हल्का बालापुरा तहसील किशनगढ जिला अजमेर की कृषि आराजियात ख0नं0 566, 568 का सीमाज्ञान कर पत्थरगढ़ी करवाये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया।

3. अप्रार्थी को प्रार्थना पत्र के नोटिस वास्ते जाहिर करने वजह (**Civil Procedure Code Appendix H, Form No. 4**) के तहत् नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी पेरोकार सरकार द्वारा जवाब पेश किया गया।

3.1 अप्रार्थी द्वारा जवाब पेश कर अंकित किया कि ग्राम गुण्डोलाव की वर्तमान जमाबंदी अंतिम चौसाला आधार सम्वत 2000 – 2071 जमाबंदी 2017 (वर्ष 2020) से स्थाई के खाता संख्या 480 खनं, 566, 500 कुल किता 2 कुल रकबा 2.2976 हैक्ट. पर गणेश पुत्र हरजी हि. 1/8 रहन बैंक ऑफ बडौदा शाखा सिलोरा जेठु पुत्र हरजी हि. 1/0 मूसा पुत्र हरजी हि. 1/8 रहन बैंक ऑफ बडौदा शाखा सिलोरा रामसुख पुत्र हरजी

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

1/8 रहन बैंक ऑफ बडौदा शाखा सिलोरा श्रीमति अन्नुदेवी पत्नि रूपाराम हि. 1 / 12 रहन बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा सिलोरा श्रीमति इन्द्रादेवी पत्नि नन्दाराम हि. 1 / 12 रहन बैंक ऑफ बडौदा शाखा सिलोरा मनभर पत्नि गणेश हि. 1/12 स्याणी पत्नि हरजी हि. 1/4, रहन बैंक ऑफ बडौदा शाखा सिलोरा सर्व जाति जाट सा. देह खातेदार दर्ज है। प्रार्थना पत्र के बिन्दू संख्या 2 के वर्णितानुसार खं0न0 की सीमा राजस्व नक्शे अनुसार सही है।

4. हमारे द्वारा उक्त प्रकरण में वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

4.1 वकील प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के संयुक्त स्वामित्व, कब्जे काश्त व खातेदारी की है जिस पर प्रार्थीगण काबिज है। राज्य सरकार की योजना अनुसार प्रार्थीगण अपनी उपरोक्त उल्लेखित कृषि आराजियात ख0नं0 566, 568 में ग्राम वासियों के पशुओं व आवारा पशुओं से उपरोक्त आराजीयात में खड़ी फसलों में निरन्तर हो रहे नुकसान व प्रतिवर्ष पड़ौसी खेतो वालो से कृषि कार्यो के दौरान होने वाले विवाद के कारण प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की उपरोक्त कृषि आराजियात में तारबन्दी करवाना चाहते है ताकि प्रार्थीगण की उपरोक्त उल्लेखित कृषि आराजियात में खड़ी फसलों में भविष्य में किसी प्रकार का नुकसान व पड़ौसी खेतो वालो से कोई विवाद न हो सके। पूर्व में प्रार्थीगण द्वारा उपरोक्त उल्लेखित कृषि आराजियात ख0नं0 566, 568 के सीमाज्ञान हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिस पर तहसीलदार (भू अभिलेख) किशनगढ (अजमेर) के द्वारा दिनांक 02.07.2018 को पटवारी हल्का बालापुरा द्वारा सीमाज्ञान करवाया गया था सीमाज्ञान को लेकर अक्सर विवाद करते रहते है इसी कारण यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। अतः वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि की पत्थरगढ़ी करवाये जाने हेतु आदेश प्रदान करे।

5. हमारे द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के संबंध में गहनता से अवलोकन किया गया एवं वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस पर मनन किया गया। ग्राम मुण्डोलाव स्थित आराजी ख0नं0 566 रकबा 00–02–00 किस्म गै.मु. चाह, ख0नं0 568 रकबा 14–02–00 भूमि प्रार्थीगण की सहखातेदारी की भूमि है। सलंग्न राजस्व मानचित्र नक्शा में ख0नं0 566 रकबा 00–02–00, ख0नं0 568 रकबा 14–02–00 भूमि का स्पष्ट अंकन है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र उपरोक्त विवेचन एवं उपलब्ध रिकॉर्ड अनुसार स्वीकार किया जाकर तहसीलदार किशनगढ़ को 2000/– रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर ग्राम मुण्डोलाव स्थित ख0नं0 566 रकबा 00–02–00

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

किस्म गै.मु. चाह, ख0नं0 568 रकबा 14–02–00 भूमि का राजस्व मानचित्र/जमाबन्दी में वर्णित क्षेत्रफल अनुसार सम्बन्धित पक्षकारान् की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी करने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थीगण द्वारा कमिश्नर शुल्क जमा कराने पर पालना हेतु तहरीर जारी होवे। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 28/05/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अर्चना चौधरी)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)